राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0,
किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक: विप0–1/336–सा0लाइसेंस/2023– 166 दिनांक: 03-5- 2023

आदेश

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0 द्वारा राज्य में निर्दिष्ट कृषि उत्पाद "आलू" की कीमतों पर नियंत्रण तथा अवमूल्यन को रोकने के लिए विशेष परिस्थितियों में "ई–नाम" (राष्ट्रीय कृषि बाजार) के माध्यम से ऑनलाइन बोली लगाकर खरीद करने हेतु प्रदेश के सभी लाइसेंसी व्यापारियों, जिनके पास थोक व्यापार का लाइसेंस है तथा प्रदेश के बाहर के व्यापारियों जिनको उनके राज्य के मण्डी बोर्ड या मण्डी समिति द्वारा थोक व्यापार का लाइसेंस दिया गया है, को क्रय करने के लिए परिषद आदेश पत्रांक:विप0–1/(336)/2023–84 दिनांक 13.03.2023 एवं आदेश पत्रांक:विप0–1/सा0लाइसेंस–336/2023–115 दिनांक 29.03.2023 द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है।

उपर्युक्त व्यवस्था के परिणामों के दृष्टिगत सरसों की कीमतों पर नियन्त्रण तथा अवमूल्यन को रोकने के लिए विशेष परिस्थितियों में यह व्यवस्था निर्दिष्ट कृषि उत्पाद सरसों के क्रय हेतु भी लागू किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। **अतएव, उपर्युक्त व्यवस्था निर्दिष्ट कृषि उत्पाद सरसों (सभी प्रकार की सरसों व लाही) हेतु भी प्राविधानित की जाती है। शेष शर्तें/व्यवस्था यथावत् रहेगी।** तद्नुसार सभी ए0पी0एम0सी0 द्वारा इसका तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(दिलीप कुमार त्रिगुणायत)
अपर निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक समांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. विशेष सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन का लखनऊ।
2. निजी सचिव, निदेशक मण्डी परिषद को निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
3. समस्त उपनिदेशक(प्रशा0/विप0), मण्डी परिषद, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसकी उपर्युक्तानुसार आदेश का अनुपालन करने हेतु अपने सम्भाग के मण्डी सचिवों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. सिस्टम एनालिस्ट, मण्डी परिषद, मुख्यालय को मण्डी परिषद के ई–मेल पर अपलोड कराने हेतु ।
5. आदेश/गार्ड फाइल हेतु।

3/5/23
अपर निदेशक